# जैवविविधता प्रबंधन समीतियों के कर्तव्य


**मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधिता बोर्ड**

**तृतीय तल बीज भवन , अरेरा हिल्स, भोपाल -462007**

Phone: +91-755-2554539/49

Fax: +91-755-2764912

e-mail: mp_biodiversityboard@yahoo.co.in

website: www.mpsbb.org


## जिला पंचायत एवं नगर निगम स्तर पर गठित जैवविविधता प्रबंधन समीति

### 1. जैविक संपदा तथा स्थानीय परंपरागत ज्ञान का दस्तावेजीकरण

i सामान्य जन समुदाय को मध्यप्रदेश शासन के जैवविविधता नियमों तथा जैवविविधता के महत्व से अवगत कराना ।

ii जैवविविधता के दस्तावेजीकरण हेतु जैवविविधता बाहुल्य क्षेत्रों की प्राथमिकता के आधार पर पहचान करना ।

iii लोक जैवविविधता पंजी निर्माण की प्रक्रिया को सहज बनाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों की पहचान करना तथा बोर्ड के सहयोग से उनकी क्षमता वृद्वि करना ताकि ऐसे स्वैच्छिक संगठन जैवविविधता के संरक्षण तथा बोर्ड के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सार्थक भूमिका निभा सकें ।

iv जैवविविधता एवं उससे संबंधित पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण (लोक जैवविविधिता पंजी निर्माण) कर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा जैव संसाधनो से संबंद्ध सूचना तंत्र विकसित करना ।

### 2. जैव संपदा का संरक्षण एवं उसके संवहनीय उपयोग को बढ़ावा देना –

i जैवविविधता का संरक्षण, सवंहनीय उपयोग तथा उससे प्राप्त होने वाले लाभों का समुचित बॅंटवारा सुनिश्चत करना ।

ii जैवविविधता प्रबंधन समिति विभिन्न स्तरों पर सम्मेलन आयोजित करेगी जिसमे विधान सभा के स्थानीय सदस्य एवं संसद सदस्य विशेष आमंत्री होंगे ।

iii लोक जैविविधता पंजी में प्राप्त जानकारी के आधार पर जैवविविधता के सरोकारों को स्थानीय एवं जिला योजनाओं में सम्मिलित करना ।

iv जैवविविधता को संरक्षित करने की दृष्टि से विरासत स्थल स्थापित करने हेतु संपन्न जैवविविधता वाले क्षेत्रों, (जहॉं अनेक प्रजातियॉं अथवा किस्में प्राकृतिक स्वरूप में प्रचुरता में पाई जाती है ) की पहचान करना ।

v जैविक संपदा के संग्राहकों को संगठित कर सही तरीके से संग्रहण, (ताकि समूल नष्ट न हो), उसके द्वारा उपयोगी सामग्री अथवा पदार्थ तैयार कर उसके व्यापार हेतु योजना बनाना।

vi कृषि एवं घरेलू जैवविविधता के अन्तः स्थलीय संरक्षण को बढ़ावा देना । (जहॉं जैविक सम्पदा प्राकृतिक रूप से होती है वहीं उसका संरक्षण एवं सही ढंग से उपयोग अन्तः स्थलीय संरक्षण कहलाता है ।)

vii स्थानीय जैवविविधता के स्तर का अनुश्रवण करना ।

viii राज्य जैवविविधता बोर्ड/नेशनल बायोडायवर्सिटी अथोरिटी को आवश्यकतानुसार जैवविविधता संबंधित मुद्दों पर सलाह देना ।

### 3. जैविक संसाधनों एवं स्थानीय परंपरागत ज्ञान तक पहुॅंच एवं उसके वाणिज्यिक उपयोग पर नियंत्रण –

i जैविक सम्पदा और संबंधित स्थानीय ज्ञान पर अपना बौद्धिक अधिकार स्थापित करते हुए उनके संवहनीय उपयोग एवं विपणन की व्यवस्था को विकसित करना ।

ii जैविक स्त्रोतों एवं सम्पदा के वाणिज्यिक उपयोग पर नियंत्रण की व्यवस्था सुनिशचित करना।

iii प्रबंधन समिति के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों में किसी व्यक्ति या व्यापारिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनो तक पहुंच अथवा उसके संग्रहण के लिए शुल्क अध्यारोपित करना ।

iv स्थानीय और जैविक स्त्रोतों का उपयोग करने वाले व्यवसायी से संबंधित जानकारी संधारित करना ।

v जैविक संसाधनों की पहुॅंच, प्रदान किए गए पारंपरिक ज्ञान के बदले में लिये जाने वाले शुल्क के संग्रहण के ब्यौरे, तथा उनसे हुए लाभों के समुचित बंटवारे का ब्यौरा संबंधित रजिस्टर संधारित करना ।

vi ऐसे नियमों एवं शर्तो का निर्धारण करना जिससे विभिन्न पक्षकारों को जैवविविधता संसाधन तथा उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त हो सके ।

vii पी.बी.आर में लिखित ज्ञान को संरक्षित कर बाहरी व्यक्तियों अथवा एजेंसियों तक इसकी पहुॅंच को नियंत्रित करना ।

viii देशज ज्ञान धारकों को ज्ञान बॉटने के लिए प्रोत्साहित करना साथ ही उसके दुरुपयोग को रोकना ।

## जनपद/नगर पालिका जैवविविधता प्रबंधन समीति

### 1. जैविक संपदा तथा स्थानीय परंपरागत ज्ञान का दस्तावेजीकरण

i सामान्य जन समुदाय को मध्यप्रदेश शासन के जैवविविधता नियमों तथा जैवविविधता के महत्व से अवगत कराना।

ii जैवविविधता के दस्तावेजीकरण हेतु जैवविविधता बाहुल्य क्षेत्रों की प्राथमिकता के आधार पर पहचान करना ।

iii लोक जैवविविधता पंजी निर्माण की प्रक्रिया को सहज बनाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों की पहचान करना तथा बोर्ड के सहयोग से उनकी क्षमता वृद्वि करना ताकि ऐसे स्वैच्छिक संगठन जैवविविधता के संरक्षण तथा बोर्ड के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सार्थक भूमिका निभा सकें ।

### 2. जैव संपदा का संरक्षण एवं उसके संवहनीय उपयोग को बढ़ावा देना –

i जैवविविधता का संरक्षण, सवंहनीय उपयोग तथा उससे प्राप्त होने वालो लाभों का समुचित बॅटवारा सुनिश्चत करना ।

ii जैवविविधता प्रबंधन समिति विभिन्न स्तरों पर सम्मेलन आयोजित करेगी जिसमे विधान सभा के स्थानीय सदस्य एवं संसद सदस्य विशेष आमंत्री होंगे ।

iii लोक जैविविधता पंजी में प्राप्त जानकारी के आधार पर जैवविविधता के सरोकारों को स्थानीय एवं जिला योजनाओं में सम्मिलित करना ।

iv जैवविविधता को संरक्षित करने की दृष्टि से विरासत स्थल स्थापित करने हेतु संपन्न जैवविविधता वाले क्षेत्रों, (जहॉ अनेक प्रजातियॉ अथवा किस्में प्राकृतिक स्वरूप में प्रचुरता में पाई जाती है ) की पहचान करना

v कृषि एवं घरेलू जैवविविधता के अन्तः स्थलीय संरक्षण को बढ़ावा देना । (जहॉ जैविक सम्पदा प्राकृतिक रूप से होती है वहीं उसका संरक्षण एवं सही ढंग से उपयोग अन्तः स्थलीय संरक्षण कहलाता है ।)

vi स्थानीय जैवविविधता के स्तर का अनुश्रवण करना ।

vii राज्य जैवविविधता बोर्ड/नेशनल बायोडायवर्सिटी अथोरिटी को आवश्यकता पडने पर जैवविविधता संबंधित मुद्दों पर सलाह देना।

### 3. जैविक संसाधनों एवं स्थानीय परंपरागत ज्ञान तक पहुॅच एवं उसके वाणिज्यिक उपयोग पर नियंत्रण –

i जैविक सम्पदा और संबंधित स्थानीय ज्ञान पर अपना बौद्धिक अधिकार स्थापित करते हुए उनके संवहनीय उपयोग एवं विपणन की व्यवस्था को विकसित करना ।

ii जैविक स्त्रोतों एवं सम्पदा के वाणिज्यिक उपयोग पर नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

iii प्रबंधन समिति के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों में किसी व्यक्ति या व्यापारिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनो तक पहुंच अथवा उसके संग्रहण के लिए शुल्क अध्यारोपित करना ।

iv स्थानीय और जैविक स्त्रोतों का उपयोग करने वाले व्यवसायी से संबंधित जानकारी संधारित करना ।

v जैविक संसाधनों की पहुॅच प्रदान किए गए पारंपरिक ज्ञान के ब्यौरे ली जाने वाले शुल्क के संग्रहण के ब्यौरे, तथा उनसे हुए लाभों के समुचित बंटवारे का ब्यौरा संबंधित रजिस्टर संधारित करना ।

vi ऐसे नियमों एवं शर्तो का निर्धारण करना जिससे विभिन्न पक्षकारों को जैवविविधता संसाधन तथा उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त हो सके ।

vii पी.बी.आर में लिखित ज्ञान को संरक्षित कर बाहरी व्यक्तियों अथवा एजेंसियों तक इसकी पहुॅच को नियंत्रित करना ।

viii देशज ज्ञान धारकों को ज्ञान बाटने के लिए प्रोत्साहित करना साथ ही उसके दुरूपयोग से संरक्षण देना /रोकना

## नगर पंचायत/ग्राम स्तर की जैवविविधता प्रबंधन समिति

### 1. जैविक संपदा तथा स्थानीय परंपरागत ज्ञान का दस्तावेजीकरण

i सामान्य जन समुदाय को मध्यप्रदेश शासन के जैवविविधता नियमों तथा जैवविविधता के महत्व से अवगत कराना।

ii चिन्हित स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से क्षेत्र का लोक जैवविविधता दस्तोवज तैयार कर उसे संरक्षण एवं आजीविका को समृद्ध करने की संभावनाओं को पता लगाना ।

iii ग्राम एवं पंचायत स्तर पर स्थानीय वैद्यों एवं हकीमों के बारे में जानकारी एकत्र करना ।

### 2. जैव संपदा का संरक्षण एवं उसके संवहनीय उपयोग को बढ़ावा देना –

i जैवविविधता का संरक्षण, सवंहनीय उपयोग तथा उससे प्राप्त होने वालो लाभों का समुचित बॅटवारा सुनिश्चत करना ।

ii पी.बी.आर के आधार पर जैवविविधता प्रबंधन योजना तैयार कर उसका कियान्वयन करना ।

iii लोक जैविविधता पंजी में प्राप्त जानकारी के आधार पर जैवविविधता के सरोकारों को स्थानीय एवं जिला योजनाओं में सम्मिलित करना ।

iv जैव संसाधनों के संरक्षण जैविक सम्पदा के विनाश विहीन विदोहन एवं उसके सही तरीके से उपयोग का ज्ञान लोगों में विकसित करना तथा उस पर आधारित योजना बनाना ।

v जैवविविधता को संरक्षित करने की दृष्टि से विरासत स्थल स्थापित करने हेतु संपन्न जैवविविधता वाले क्षेत्रों, (जहॉ अनेक प्रजातियॉ अथवा किस्में प्राकृतिक स्वरूप में प्रचुरता में पाई जाती है ) की पहचान करना ।

vi जैविक संपदा के संग्राहकों को संगठित कर सही तरीके से संग्रहण, (ताकि समूल नष्ट न हो), उसके द्वारा उपयोगी सामग्री अथवा पदार्थ तैयार कर उसके व्यापार हेतु योजना बनाना।

vii कृषि एवं घरेलू जैवविविधता के अन्तः स्थलीय संरक्षण को बढ़ावा देना । (जहॉ जैविक सम्पदा प्राकृतिक रूप से होती है वहीं उसका संरक्षण एवं सही ढंग से उपयोग अन्तः स्थलीय संरक्षण कहलाता है ।)

viii स्थानीय जैवविविधता के स्तर का अनुश्रवण करना

ix राज्य जैवविविधता बोर्ड/नेशनल बायोडायवर्सिटी अथोरिटी को आवश्यकता पड़ने पर जैवविविधता संबंधित मुद्दों पर सलाह देना।

### 3. जैविक संसाधनों एवं स्थानीय परंपरागत ज्ञान तक पहुॅच एवं उाके वाणिज्यिक उपयोग पर नियंत्रण –

i जैविक सम्पदा और संबंधित स्थानीय ज्ञान पर अपना बौद्धिक अधिकार स्थापित करते हुए उनके संवहनीय उपयोग एवं विपणन की व्यवस्था को विकसित करना

ii जैविक स्त्रोतों एवं संम्पदा के वाणिज्यिक उपयोग पर नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

iii प्रबंधन समिति के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों में किसी व्यक्ति या व्यापारिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनो तक पहुंच अथवा उसके संग्रहण के लिए शुल्क अध्यारोपित करना ।

iv स्थानीय और जैविक स्त्रोतों का उपयोग करने वाले व्यवसायी से संबंधित जानकारी संधारित करना ।

v जैविक संसाधनों की पहुॅच प्रदान किए गए पारंपरिक ज्ञान के ब्यौरे ली जाने वाले शुल्क के संग्रहण के ब्यौरे, तथा उनसे हुए लाभों के समुचित बंटवारे का ब्यौरा संबंधित रजिस्टर संधारित करना ।

vi ऐसे नियमों एवं शर्तो का निर्धारण करना जिससे विभिन्न पक्षकारों को जैवविविधता संसाधन तथा उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त हो सके

vii पी.बी.आर में लिखित ज्ञान को संरक्षित कर बाहरी व्यक्तियों अथवा एजेंसियों तक इसकी पहुॅच को नियंत्रित करना ।

viii देशज ज्ञान धारकों को ज्ञान बाटने के लिए प्रोत्साहित करना साथ ही उसके दुरूपयोग से संरक्षण देना /रोकना

- ***प्रत्येक स्थानीय जैवविविधता प्रबंधन समिति अपनी कार्यप्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता बरतते हुए ग्राम सभा अथवा अन्य कोई तुल्य ग्राम स्तर पर सभा को अपनी गतिविधियों, बजट, व्यय एवं अपने अन्य कार्यो के बारे में जानकारी देगें ।***
- ***जैवविविधता समिति की बैठक का आयोजन दो महीने मे एक बार किया जावेगा ।***